

वार्षिक आम बैठक

शुक्रवार, 27 जून, 2025, प्रातः 11.00 बजे

Annual General Meeting

Friday, June 27, 2025 at 11.00 A.M.

प्रधान कार्यालय:

स्टार हाउस, सी- 5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051



HEAD OFFICE:

STAR HOUSE, C-5, 'G' BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI - 400 051





प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

Head Office: Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद-द्वारा सचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की 29वीं (उनतीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शृक्रवार, 27 जून, 2025 को प्रात: 11.00 बजे से प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई (बैठक का मानित स्थान) में वीडियो कॉर्स्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के द्वारा निम्नलिखित कारोबार संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

साधारण कारोबार:

मद संख्या 1:

यथा 31 मार्च 2025 के लेखा-परीक्षित तलन पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि खाता, तुलन पत्र और उपर्युक्त अवधि के लिए कवर किये गए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र और खातों के संबंध में खातों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कवर की गई है, पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और स्वीकार करना।

मद संख्या 2:

वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर @4.05 रुपये (40.50%) की दर से लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3:

मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिस करने वाली कंपनी के सचिव को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक पांच वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियक्त करना।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,

दिनांक: 31.05.2025 स्थान: मुंबई

(रजनीश कर्नाटक) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नोट्स :-

- बैठक की मद संख्या 3 से कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम 2. से. जिसमें 05 मई 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 और परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 शामिल हैं, ने कंपनियों को 30 सितंबर 2025 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। उसी के मद्देनजर, बैंक की 29वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अतः शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम स्थल माना जाएगा। बैंक ने एजीएम के लिए वीडियो कॉस्प्रेंसिंग सविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए अटेंडेंट एनबलर्स हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश यहां अलग से दिए गए हैं।

NOTICE

Notice is hereby given that the 29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of India (Bank) will be held on Friday, June 27, 2025 at 11.00 AM at Head Office, Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2025, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2025, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare dividend for the year 2024-25 @ Rs.4.05 (40.50%) per equity share.

Item No. 3:

To appoint M/s. Sawant & Associates, Practising Company Secretary, as Secretarial Auditor of the Bank for a continuous period of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

By order of Board of Directors,

Date: 31.05.2025 Place: Mumbai

(Raineesh Karnatak) **Managing Director & CEO**

NOTES:

- The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 of the meeting is annexed hereto.
- Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 has permitted companies to hold the AGM through Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) by 30th September 2025. In view of the same, the 29th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Shareholders can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of the Bank shall be deemed to be the venue of the AGM. The Bank has appointed NSDL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.



उ. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े सदस्य (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले सदस्य), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

4. परोक्षी की नियुक्तिः

लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थित पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियक्तिः

संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्रधिकार देने/संकल्प को दिनांक 20 जून 2025 तक या उसके पहले ई-मेल द्वारा headoffice. share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजी जाएगी।

- 6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।
- उपर्युक्त एमसीए पिरपत्रों और सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 36 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सटीक पथ सिहत वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहाँ वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है। शेयरधारक ध्यान दें कि बैंक की एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
- 8. वार्षिक रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया:

भौतिकरूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु: भौतिकरूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है), वे बैंक के आरटीए के पास आईएसआर-1 फॉर्म की विधिवत् भरी हुई भौतिक प्रति बिगशेयर सर्विसेज़ प्रा. लि., नंबर एस6-2, 6वां ताल, पित्रेकल बिज़नस पार्क, आहुरा सेंटर से अगला, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई -400093 को प्रेषित करके या info@bigshareonline.com को ईमेल प्रेषित करके अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करवा सकते हैं।

3. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairperson of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. **APPOINTMENT OF PROXY:**

Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Shareholders will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

5. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank on or before 20th June 2025 by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to evoting@nsdl.co.in.

- The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.
- 7. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and Regulation 36 of SEBI (LODR) Regulations, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available will be sent to those shareholders who have not registered their email address. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2024-25 of the Bank will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending the physical copy of duly filled in ISR-1 Form to Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093 or by sending email at info@bigshareonline.com.



डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु: अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी/ बैंक खाता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि कृपया डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता, मोबाईल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवाएँ।

 चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

10 लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि:

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु शेयर धारकों के लिए लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 20 जून, 2025 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

- 11. लाभांश का भुगतान: बैंक के निदेशक मंडल ने 09 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पूर्ण रूप से प्रदत्त रु. 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए रु. 4.50 (40.50%) लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश यदि बैंक की 29वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त के अधीन उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:
 - क. 20 जून, 2025 को कारोबार समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में लाभार्थी स्वामी के रूप में और:
 - ख. रिजस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज सभी अनुरोधों का वैध प्रेषण तथा प्रतिस्थापन प्रभावी होने के बाद 20 जून, 2025 को या उससे पहले बैंक के शेयरधारकों के रिजस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज
 - ग. 29वीं एजीएम में लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

12. लाभांश पर टीडीएस:

- क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्राप्त होने पर लाभांश आय कर योग्य है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, और बैंक द्वारा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैन को अपडेट करें।
- ख) एक निवासी शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर में कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सं. 15 जी/15 एच में आरटीए को ईमेल द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से यह नोट करने हेतु अनुरोध है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है तो आयकर 20% की उच्च दर पर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के अंतर्गत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि अपेक्षित दस्तावेज tds@bigshareonline.com आरटीए को एक ईमेल भेजकर उपलब्ध करवाएँ अर्थात् गैर-स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, कोई भी अन्य दस्तावेज जो कर संधि के लाभ उठाने के लिए आवश्यक हों।

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register / update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depositary Participants.

 Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

10. Record Date for Dividend:

Friday, 20th June, 2025 has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31st March, 2025.

11. Payment of Dividend:

The Board of Directors of the Bank at their meeting held on 9th May, 2025 has recommended dividend @ Rs.4.05 (40.50%) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2025. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 29th AGM of the Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

- As Beneficial Owners at the end of the business hours on 20th June, 2025 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form and:
- b) As Shareholders in the Register of Shareholders of the Bank after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 20th June, 2025.
- The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 29th AGM.

12. TDS on Dividend:

- a) Pursuant to provisions of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- A residential shareholder with PAN and who is not liable to pay tax can submit a yearly declaration in Form No. 15 G/ 15 H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing the necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at tds@bigshareonline.com.



- ग) शेयरधारकों को घोषणाएँ और दस्तावेज़ 20 जून, 2025 को या उससे पहले tds@bigshareonline.com पर मेल के ज़िरए जमा करने होंगे, तािक बैंक लाभांश रािश पर टीडीएस/ कर की दर पर रोक निर्धारित कर सके। 20 जून, 2025 के बाद बैंक द्वारा कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- 13. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियों 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रिजस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।
- 14. संयुक्त धारकों के मामले में, वे शेयरधारक जिनका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने के हकदार होंगे।
- 15. शेयरधारकों को खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए और जो एजीएम में खुद को स्मीकर के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 20 जून, 2025 को या उससे पहले headoffice.share@bankofindia.co.in पर ईमेल के माध्यम से बैंक को लिखें। उक्त के संबंध में एजीएम में बैंक द्वारा यथोचित उत्तर दिया जाएगा। बैंक द्वारा एजीएम में उचित तरीके से उत्तर दिया जाएगा। केवल वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पहले से पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमित होगी। बैंक एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरिक्षत रखता है।
- 16. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयाविध के भीतर कम्पनी से अपने लाभांशा का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांशा/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट https://bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

17. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तृत करने के मानदंड:

संबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक के आरटीए को अनिवार्य रूप से वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नामांकन विवरण प्रस्तुत करना होगा।

उपर्युक्त सेबी परिपन्न के अनुसार, भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए फॉर्म में बैंक/आरटीए को वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत प्रस्तृत करें:

- c) The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail to tds@bigshareonline.com on or before 20th June, 2025 to enable the Bank to determine the TDS / withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Bank after 20th June, 2025.
- 13. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard.
- 14. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
- 15. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM and who wants to register themselves as Speakers at the AGM are requested to pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number to the Bank on or before June 20, 2025 through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM. Only those Shareholders who have pre-registered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
- 16. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In view of this, Shareholders are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website https://bankofindia.co.in.

Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:



क्रम सं.	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पृष्टि करना
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपर्युक्त सभी फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त के मदेनजर, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक के आरटीए को बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर एस 6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली गुफा रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093 में जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है -

- उन फोलियो को फ्रीज करना जहां अनिवार्य विवरण जैसे पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासिनक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ लेना।

18. ई-वोटिंग

बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को प्रसन्नता हो रही है तािक वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकें। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करेगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अपने वोट नहीं डाले हैं। बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीिक से संचालित करने के लिए मेसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा शुक्रवार, 20 जून, 2025 को रखे गए इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी, जो इस उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

19. ई-वोटिंग निर्देश

ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-बोटिंग की अविध 24 जून, 2025 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होकर 26 जून, 2025 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-बोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शेयरधारक, जिनके नाम निर्दिष्ट तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 20 जून, 2025 को शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रिजस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना बोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का बोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 जून, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

में एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप से कैसे मतदान करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने में "दोचरण" शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

SI. No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) and the said SEBI circular are available on our website at https://www.bankofindia.co.in/format for Boi shareholders.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of -

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002

18. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Friday, June 20, 2025** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

19. E-VOTING INSTRUCTIONS

THE INTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

The remote e-voting period begins on June 24, 2025 at 09:00 A.M. and ends on June, 26, 2025 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Shareholders, whose names appear in the Register of Shareholders / Beneficial Owners as on the Specified date (cut-off date) i.e. June 20, 2025 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being June 20, 2025.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:



चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करना

 ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्च्अल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपन्न दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में,एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजटरीज एंड डिपॉजटरी पार्टीसिपेंट्स में है,के माध्यम से मतदान करने की अनुमित है। शेयर धारकों की सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का	लॉग-इन प्रकिया
प्रकार	
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभृति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1. OTP आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices. nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का DP ID, 8 अंकों का क्लाइंट ID, PAN नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और OTP जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
	2. मौजूदा IDeAS यूजर निजी कम्प्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विस होमपेज पर "Beneficial Owner" आइकन के अंतर्गत "Login" पर क्लिक करें, जो IDeAS खंड के अंतर्गत उपलब्ध है, और अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालने के लिए सूचित करेगा। सफलतापूर्वक अध्प्रमाणन के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत 'Access to e-Voting' पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा
	ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। 3. यदि यूज़र IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें या
	https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg. jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

 Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

<u>Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:</u>

Type of Login Method			
Type of shareholders	Logi		
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1.	For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp . You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.	
	2.	Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.	
	3.	If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com . Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp	
	4.	Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer	



		Type of	Login Method
शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रकिया	shareholders	Logiii Metilod
	लॉन्च हो जाने के बाद, 'Shareholder/Member' खंड में उपलब्ध 'Login' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूज़र आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अध्यप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉ जिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। 4. शेयरधारक/सदस्य निर्वाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "NSDL Speede" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on Google Play		or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक	 प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अध्यप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest पर लॉग-इन करने वालेप्रयोगकर्ता www.cdslindia.com वेबसाइट पर जाएं और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपना मौजूदा my easi यूजर नाम एवं पासवर्ड का चयन करें। सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगें। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुडने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पंज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके। यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट <u>www.cdslindia.com</u> पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है तथा लॉगइन पर क्लिक करें एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें । 	Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	 Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.



शेयरधारकों का	लॉग-इन प्रकिया	
प्रकार		
	4) इसके अलावा, यूजर www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को अध्प्रमाणित करेगा। सफल अध्प्रमाणन के बाद, यूजर ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।	
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अध्यमाणन के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।	

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभृति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी
में प्रतिभूति धारण करने वाले	समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे <u>evoting@</u>
एकल शेयरधारक	nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर या 022 - 4886
	7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से
	सम्पर्क कर सकते हैं ।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी
में प्रतिभूति धारण करने वाले	समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे <u>helpdesk.</u>
एकल शेयरधारक	evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर
	या टोल फ्री सं 1800 22 55 33 पर कॉल करके
	सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।

(बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

- एनएसडीएल (NSDL) की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्निलिखित यूआरएल के माध्यम से वेब ब्राउज़र को खोलें; <u>URL: https://www.evoting.nsdl.com/</u>, इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से खोल सकते हैं।
- ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने पर 'Shareholder/Member' खंड में जाएँ एवं "Login" आइकॉन पर क्लिक करें।
- एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

Type of shareholders	Login Method
	4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
- Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.
- A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.



वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ अर्थात् आईडीईएएस (IDEAS) पर पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस (IDEAS) लॉगिन के माध्यम से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल के माध्यम से एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ पर लॉग-इन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग पर क्लिक करके दूसरे चरण में ईलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

4. आपके युजर आईडी विवरण नीचे दिये गए हैं:

शेय	र धारण प्रणाली अर्थात	आपकी यूजर आईडी:
डीमै	ट(एनएसडीएल या	
सीड	Slएसएल) अथवा भौतिक रूप से	
क.	एनएसडीएल में डीमैट खाते	8 अक्षरों की डीपी आईडी तद्पश्चात 8 अंकों की
	में शेयर धारण करने वाले	ग्राहक आईडी
	शेयरधारकों हेतु	उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डीपी आईडी
		IN300*** तथा ग्राहक आईडी 12***** है तो
		आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख.	सीडीएसएल में डीमैट खाते	16 अंकों की बेनीफिशियरी आईडी
	में शेयर धारण करने वाले	उदाहरण तया यदि आपकी बेनीफिशियरी आईडी
	शेयरधारकों हेतु	12****** है तो आपकी यूजर
		आईडी 12******* है।
ग.	भौतिक रूप में शेयर धारण करने	EVEN संख्या तद्पश्चात कंपनी की रजिस्टर्ड
	वाले शेयरधारकों हेतु	फोलियो संख्या
		उदाहरण के तौर पर यदि फोलियो संख्या 001***
		एवं EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी
		101456001*** है।

- एकल शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:
 - क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत है तो आप लॉगिन करने और वोट देने के लिए अपने मौजदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - ख) यदि आप एनएसडीएल ई-बोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पूर्व में प्राप्त 'initial password' को पुन: प्राप्त करना होगा। अपने 'initial password' को पुन: प्राप्त करने के पश्चात् आपको 'initial password' प्रविष्ट करना होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।
 - ग) 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनःप्राप्त कैसे करें?
 - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपनी ईमेल आईडी में एनएसडीएल द्वारा प्राप्त मेल को खोजें। ईमेल एवं उसमें प्राप्त संलग्नक को खोलें जो कि एक पीडीएफ फ़ाइल है। पीडीएफ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ फ़ाइल को खोलें हेतु पासवर्ड आपके एनएसडीएल (NSDL) खाते 8 अंकों की पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियों नंबर है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'User ID' और आपका 'initial password' होता है।
 - (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरथारकों हेतु प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12******.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	, ,
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company
	For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

- Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password', which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

वार्षिक रिपोर्ट / Annual Report 2024-25



- यदि आप "Initial password" को पुन: प्राप्त करने में असमर्थ है या अभी तक "Initial password" प्राप्त नहीं किया है या पासवर्ड भल गए हैं तो:
 - क) <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध विकल्प <u>``Forgot User</u>

 <u>Details/Password?''</u> पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल अथवा
 सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं)।
 - ख) <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलन्ध विकल्प <u>``Forgot User</u>

 <u>Details/Password?''</u> (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते
 है)
 - ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-बोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
- अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "Terms and Conditions" पर टिक करें।
- 8. अब, आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
- 9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में किस प्रकार शामिल हों?

- चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों "ईवीईएन (EVEN)" को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रख रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
- उस कंपनी के "ईवीईएन (EVEN)" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अविध के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के तहत उपलब्ध विकल्प "VC / OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- 3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- 4. उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमित या असहमितका चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "Submit" पर क्लिक करें,संकेत दिए जाने पर "Confirm" करें।
- 5. पृष्टि होने पर, संदेश "Vote Cast Successfully" प्रदर्शित किया जाएगा।
- आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए बोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनमित नहीं दी जाएगी।

- If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "<u>Forgot User Details/Password?</u>"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) <u>Physical User Reset Password?</u>" (If you are holding shares in physical mode) option available on <u>www.evoting.nsdl.com</u>.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at <u>evoting@nsdl.</u> <u>co.in</u> mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
- 7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- 8. Now, you will have to click on "Login" button.
- After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting System.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

- 1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
- Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
- 3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- 5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- 6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.



शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

- गि. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) स्क्रूटिनाइज़र पर ईमेल scrutinizer@snaco. net के माध्यम से तथा evoting@nsdl.co.in. को कॉपी में रखकर मतदान करने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपना बोर्ड संकल्प/ मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि उनके लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत दर्शाए गए "Upload Board Resolution / Authority Letter" पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं।
- 2. दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग करना होगा।
- कोई भी शंका होने पर, आप शेयरधारकों के लिए www.evoting. nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं;

- भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वत:सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वत:सत्यापित सत्यापित प्रति) को <u>Headoffice.</u> <u>share@bankofindia.co.in</u> पर ई-मेल या http://www.bigshareonline.com/ <u>InvestorRegistrantion.aspx.</u> लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।
- 2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया Headoffice.share@bankofindia.co.in पर अथवा https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx िलंक पर क्लिक करके आरटीए को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूति धरण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1(ए) में वताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें अर्थात् डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुडने की लॉगइन प्रक्रिया
- 3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ evoting@nsdl.co.in को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
- 4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमित है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

General Guidelines for shareholders

- Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
- 2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <u>www.evoting.nsdl.com</u> or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to at <u>evoting@nsdl.co.in</u>

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to Headoffice. share@bankofindia.co.in or to the RTA by by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
- Alternatively shareholder/ may send a request to <u>evoting@</u> <u>nsdl.co.in</u> for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
- 4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.



ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- 2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/ एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा किसी कारणवश ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- जन लोगों ने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
- ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

- 1. शेयरधारक को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के विपरीत "Join Meeting" मेनू के तहत रखे गए "वीसी / ओएवीएम" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड मूल गए हैं, वे अंतिम समय परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं।
- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 3. इसके अलावा शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ कैमरा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमित देने की आवश्यकता होगी।
- 4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3

मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीओपी संख्या 16317) को वित्तीयवर्ष 2025-26 से वित्तीयवर्ष 2029-30 तक,पांच साल की निरंतर अवधि के लिए वैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना।

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक सूचीबद्ध संस्थाऔर उसकी महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनियों को एक सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करानी है और सूचीबद्ध संस्थाकी वार्षिक रिपोर्ट के साथ निर्दिष्ट प्रपत्रों में सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट संलग्न करनी है।

THE INSTRUCTIONS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-

- The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.
- Who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.
- 4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

- Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under "Join meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
- Further, Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

To appoint M/s. Sawant & Associates, Practising Company Secretary (COP No 16317), as Secretarial Auditor of the Bank for a continuous period of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor and shall annex a Secretarial Auditor Report in such forms as specified, with the annual report of the listed entity.



निदेशक मंडल की संस्तुतिके आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई (i) किसी व्यक्ति को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्त करे, जो लगातार पांच वर्षों की एकमुश्तअविध से अधिक न हो; या

(ii) किसी सचिवीय लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्तिसचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में लगातार पांच वर्षों की दो अविधयों से अधिक न हो।

मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करनेके बाद रु. 80,000 + जीएसटी के वार्षिक शुल्क पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

सुश्री प्राची प्रकाश सावंत एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और सावंत एंड एसोसिएट्स की संस्थापक हैं, उनके पास 9 साल से अधिक का अनुभव है। उन्हें कॉर्पोरेट कानून, सचिवीय लेखापरीक्षण और विनियामकीय अनुपालन में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। उनकी फर्म कई क्षेत्रों में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को परामर्श देती है।

बैंक के अनुरोध पर, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति के बाद चार साल की अतिरिक्त अविध के लिए सिचवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहमित व्यक्त की है, जिसमें दूसरे वर्ष से शुल्क में 10% की एकमुश्त वृद्धि शामिल है।

बैंक के निदेशक मंडल ने 30.05.2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 साल की लगातार अविध के लिए ऊपर उल्लिखित शुल्क के अनुसार नियुक्त करने की संस्तुति की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

बैंक के किसी भी निदेशक, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त प्रस्ताव में हित रखने वाला या संबंधित नहीं माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से,

रजनीश कर्नाटक प्रबंध निदेशक और सीईओ

ह/- Date: May 31, 2025 जनीश कर्नाटक Place: Mumbai

On the basis of recommendation of Board of Directors, a listed entity shall appoint or re-appoint (i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or

(ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more than two terms of five consecutive years.

M/s. Sawant & Associates, practising Company Secretary, was appointed as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 3 years from FY 2023-24 to FY 2025-26 at an annual fees of Rs.80,000 + GST, after following tender process. Brief profile of M/s. Sawant & Associates is as under:

Ms. Prachi Prakash Sawant is a Practising Company Secretary and founder of Sawant & Associates, with over 9 years of experience. She specializes in corporate laws, secretarial audits, and regulatory compliance. Her firm advises listed and unlisted companies across wide range of sectors.

Based on request of the Bank, they have consented to act as Secretarial Auditor for an additional period of four years after expiry of existing terms in FY 2025-26 with onetime increase in fees of 10% from the second year onwards.

Board of Directors of the Bank in their meeting held on 30.05.2025 have recommended appointment of M/s. Sawant & Associates, Practicing Company Secretary, as Secretarial Auditor of the Bank for a consecutive period of 5 years from FY 2025-26 to FY 2029-30 as per the fees mentioned above, subject to approval of the shareholders in the ensuing AGM.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of Board of Directors,

Sd/rnatak)

(Rajneesh Karnatak) Managing Director & CEO

तिथि: मई 31, 2025

स्थान: मुंबई